315hi12

12

प्रशासनिक प्रणाली और संस्थाएं

भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही एक नए शासक वर्ग का उदय हुआ। इस नए शासक वर्ग ने नई प्रशासनिक प्रणाली प्रारंभ की। कुछ नई संस्थाओं की स्थापना हुई। मुगलों के आगमन के बाद इन प्रणालियों में कुछ परिवर्तन हुए और कुछ नई प्रणालियां प्रारंभ की गई। कुछ प्रशासनिक संस्थाओं की जड़ें अरब और मध्य एशिया तक फैली थीं, जहाँ से यह नया शासक वर्ग आया था। जबकि अन्यों की उत्पत्ति भारत में ही हुई थी। भारत के परिवेश में इनका विकसित होना इनकी मुख्य विशेषता थी।

नई प्रशासनिक प्रणाली और संरचनाओं ने सल्तनत तथा मुगल साम्राज्य को सुद ढ़ बनाने में योगदान दिया। इस पाठ में 500 वर्षों से अधिक की अवधि के प्रशासन के सभी पहलुओं की चर्चा करना असंभव होगा। तथापि हम प्रशासनिक ढाँचे और कुछ महत्त्वपूर्ण संस्थाओं की मूल विशेषताओं, और परिवर्तनों का उल्लेख करने का प्रयास करेंगे।

इस काल के दौरान शासक वर्ग बदलता रहा। विभिन्न शासकों ने इन संस्थाओं का प्रयोग अन्य प्रयोजनों के लिए भी किया। शासकों ने समाज में सामंजस्य बनाए रखने के लिए समय–समय पर समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को इन प्रशासनिक तंत्रों में सम्मिलित किया। शासन प्रणाली में समाज के इन वर्गों का दावा करना स्वाभाविक था और विभिन्न शासक भी इनको शीघ्र ही इस प्रणाली में सम्मिलित कर लेते थे। इस अर्थ में ये संस्थाएँ समाज में व्याप्त किसी भी सामाजिक संघर्ष के साधन के रूप में भी उभरीं। यद्यपि इस उद्देश्य के लिए शासकों द्वारा अन्य विभिन्न उपाय भी उपयोग में लाए गए थे।

उद्देश्य

इस पाठ का अध्ययन करने के पश्चात आपः

- सल्तनत और मुगल शासक वर्ग के स्वरूप और संरचना के बारे में बता सकेंगे;
- दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक ढांचे को समझा सकेंगे;
- सल्तनत काल के मुख्य प्रशासनिक विभागों का उल्लेख कर सकेंगे;
- सुल्तानों के अधीन प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन का उल्लेख कर सकेंगे;

- इक्ता प्रणाली की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कर सकेंगे;
- अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का विश्लेषण कर सकेंगे;
- मुगलों के केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन के बारे में जान सकेंगे;
- जागीर प्रणाली की मुख्य विशेषताओं पर विचार कर सकेंगे;
- मनसबदारी प्रणाली के विकास की रूप–रेखा प्रस्तुत कर सकेंगे; और
- मराठों के अधीन प्रशासनिक ढाँचे को समझ सकेंगे।

12.1 दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत प्रशासनिक ढांचे का विकास

जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को लाहौर में स्वतंत्र सुल्तान के रूप में स्थापित किया तो उस समय मौजूद प्रशासनिक तंत्र प्रारंभिक अवस्था से गुजर रहा था। जब तक स्थानीय शासकों ने दिल्ली के सुल्तान की सर्वोच्चता को स्वीकार किया, तब तक मौजूदा ढांचे में न तो कोई परिवर्तन किया गया न ही उसे छेड़ा गया, उन्हें सिर्फ कर वसूल कर उसे खिराज के रूप में केंद्रीय खजाने में भेजने की अनुमति थी। इन क्षेत्रों में केंद्रीय कर्मचारियों का मुख्य कार्य स्थानीय शासकों का उनके प्रशासनिक कार्यों में सहायता देना था। दिल्ली सल्तनत के विस्तार और सुद ढ़ीकरण से नई प्रशासनिक संस्थाओं का भी उदय होने लगा। प्रशासनिक ढांचों और नए शासकों द्वारा भारत में प्रतिपादित संस्थाओं पर मंगोलों, सेल्जुकिड्स आदि का प्रभाव पड़ा। देश के विभिन्न भागों में मौजूद संस्थाओं ने भी नई प्रणाली का निर्माण करने में भी योगदान दिया।

सुल्तानों को इस बात की जानकारी थी कि उन्हें जिस प्रजा पर शासन करना था, उसमें गैर इस्लामिक लोगों की संख्या अधिक थी। इसलिए दिल्ली के सुल्तानों को सल्तनत की मौजूदा परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए खास उपाय करने पड़ते थे। प्रशासनिक द ष्टि से ऐसा महसूस होता है कि स्थानीय प्रशासन मुख्यतः गांव के प्रधानों आदि के हाथों में आ गया था। सल्तनत की सीमा को बढ़ाने के लिए केंद्र और प्रांतों के लिए प्रशासनिक ढांचे का अलग से विकास करना आवश्यक था। इस प्रकार सल्तनत काल के दौरान केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय स्तरों पर प्रशासनिक संस्थाओं का विकास हुआ।

आइए, अब हम प्रशासनिक प्रणाली के विभिन्न घटकों को विस्तार से समझें।

12.2 प्रशासनिक प्रणाली

सल्तनत काल के दौरान प्रशासनिक तंत्रों का प्रमुख सुल्तान होता था। उच्च अधिकारी राज–काज में सुल्तान की सहायता करते थे। सुल्तान के कार्यालय के साथ अन्य कार्यालय भी थे। सैद्धांतिक रूप से सुल्तान की सहायता करने के लिए मंत्रिपरिषद मजलिस–ए–खलवात थी।

1. सुल्तान

सुल्तान प्रशासनिक व्यवस्था में केन्द्रीय स्थान पर होता था। वह नागरिक प्रशासन का प्रमुख और सेना का सर्वोच्च कमांडर था। सुल्तान सभी दरबारियों की नियुक्तियां करता और उनकी तरक्की करता था तथा वह किसी को भी अपने दरबार से निकाल सकता था। वह सर्वशक्तिमान था। इसलिए सभी शक्तियां उसके हाथों में थीं तथा वह न्यायिक

शक्ति का भी सर्वोच्च स्वामी था। सुल्तान लोगों को उपाधियां और सम्मान प्रदान करता था। सिद्धान्ततः सुल्तान का पद उच्च होता था, परन्तु व्यावहारिक रूप में उसकी शक्तियां घटती–बढ़ती रहती थीं। सुल्तान पर हमेशा अभिजात वर्ग और उलेमाओं का दबाव बना रहता था। दिल्ली के शक्तिशाली सुल्तानों ने इन वर्गों पर नियंत्रण रखने के लिए अलग–अलग रणनीतियां अपनाईं। बलबन ने अभिजात वर्ग को कड़े नियंत्रण में रखा। इस प्रकार सल्तनत के प्रशासनिक ढांचे में सुल्तान महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता था। योग्य और शक्तिशाली सुल्तानों के नेत त्व में प्रशासन और प्रशासनिक ढांचा बेहतर ढंग से कार्य करता था, लेकिन अयोग्य और कमजोर शासक अभिजात वर्गों के दबाव में कार्य करते थे।

2. अभिजात वर्ग

अभिजात वर्ग राज्य के सबसे महत्त्वपूर्ण अधिकारी थे तथा समाज में इनको उच्च स्थान प्राप्त था। प्रारंभ में ये सेना के ऐसे कमांडर थे, जिन्होंने युद्ध में विजय हासिल की थी। कुछ वर्षों से उनके उत्तराधिकारियों ने मुख्य शक्ति हासिल कर ली थी तथा कुछ भारतीय समूह भी इनमें विकसित हुए। अभिजात वर्ग की स्थिति और शक्तियों में समय–समय पर उतार–चढ़ाव होता रहा, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। वे अभिजात वर्ग जो मूलतः दिल्ली में स्थापित थे, अत्यधिक शक्तिशाली समूह के रूप में उभरे तथा वे समय–समय पर सुल्तान का चयन करने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे।

अभिजात वर्ग में समरूप श्रेणी नहीं थी। इसमें कई समूह सम्मिलित थे और उनमें अकसर लड़ाइयों के कारण आपस में दुश्मनी बनी रहती थी। इल्तुतमिश के समय में तुर्की और ताजिक कुलीनों के बीच लड़ाई प्रारंभ हुई और इसकी म त्यु के पश्चात् इन लड़ाइयों ने और अधिक जोर पकड़ लिया। चहलगान समूह (40 अभिजातों का समूह) शक्तिशाली समूह के रूप में उभरा था, जिसे इल्तुतमिश ने बनाया था।

बलबन पहला सुल्तान था, जिसने अभिजात वर्ग पर कड़ाई से नियंत्रण रखा। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि स्वयं बलबन भी चहलगान का ही एक हिस्सा था। कुतुबुद्दीन ऐबक तथा इल्तुतमिश अभिजात वर्ग को अपने बराबर का समझते थे। बलबन ने अभिजात वर्ग से दूरी बनाए रखी तथा स्वयं के लिए अभिजात वर्ग के लिए कड़ी आचरण संहिता लागू की थी। दरबार में कोई दुर्व्यवहार नहीं कर सकता था और न हीं हँस सकता था। उसने उत्क ष्टता पर बल दिया था और उच्च पद और उच्च कार्यालयों को प्राप्त करने वालों के लिए मानदंड निर्धारित कर दिया था।

दिल्ली सल्तनत का विस्तार होते ही समाज के विभिन्न समुदायों ने अभिजात वर्ग में सम्मिलित होने के प्रयास किए थे। प्रारंभ में इस वर्ग में तुर्कों को सम्मिलित किया गया। खिलजी और तुगलकों के शासन काल के दौरान विभिन्न प ष्ठभूमि के लोगों के लिए अभिजात वर्ग के दरवाजे खुले थे। विशेषतः मुहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में हिन्दू और मुस्लिम दोनों के निम्न जाति के लोग अभिजात वर्ग में शामिल हो गए और उन्होंने बड़े–बड़े पद हासिल किए। लोधी काल में समानता की अफगान अवधारणा उस समय महत्त्वपूर्ण हो गई, जब सुलतान को 'समान शक्तिवालों में प्रमुख' माना गया। इस प्रकार अभिजात वर्ग सुल्तान के बराबर की हैसियत रखते थे। कुछेक लोदी सुलतानों, जैसे– शिक्दार लोदी और इब्राहिम लोदी को यह पसंद नहीं था। उन्होंने अभिजात वर्ग को अपने

आपकी टिप्पणियाँ

नियंत्रण में रखने की कोशिश की। अभिजात वर्ग ने इसका विरोध किया। जिसके परिणामस्वरूप दोनों सुल्तान परेशानी में पड़ गए।

3. उलेमा

मुसलमानों के धार्मिक बुद्धिजीवियों के समूह को उलेमा कहते थे। इस समूह के लोगों का कार्य धार्मिक मामलों की व्यवस्था करना और सुल्तान के लिए धार्मिक नियमों की व्याख्या करना था। वे न्यायिक मामलों के प्रभारी भी होते थे। यह अत्यधिक प्रभावी समूह था और सुल्तान और अभिजात वर्ग की प्रशंसा करता था। उनका मुस्लिम जनता में भी प्रभाव था। यह समूह इस्लाम के धार्मिक नियमों के अनुसार सल्तनत को चलाने के लिए सुल्तान पर दबाव डालता था। सुल्तान और अभिजात वर्ग अकसर प्रशासनिक कार्य धार्मिक नियमों की बजाय राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार करने की कोशिश करते थे। अलाउद्दीन खिलजी जैसे प्रभावशाली सुलतान ही उलेमाओं की सलाह के कई मुद्दों पर अनदेखी कर सकते थे, लेकिन कुछ सुल्तान उनकी सलाह को मानते थे।

पाठगत प्रश्न 12.1

1. चहलगान क्या था और इसको किसने स्थापित किया?

____

2. वह प्रथम सुलतान कौन था, जिसने अभिजात वर्ग पर पहली बार सख्ती से नियंत्रण रखने की कोशिश की थी?

____

3. प्रभुत्व सम्पन्नता की अफगान अवधारणा के अनुसार सुल्तान तथा अभिजात वर्ग का क्या स्थान था?

____

4. उलेमा कौन थे?

____

12.3 केंद्रीय प्रशासन

जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि प्रशासनिक प्रणाली का प्रधान सुल्तान होता था। अनेक विभाग थे, जिन्हें अलग–अलग दायित्व सौंपे गए थे। इन विभागों का प्रबंध प्रभावशाली अभिजात वर्गों द्वारा किया जाता था। हम कुछ विभागों का लेखा–जोखा संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करेंगे।

1. वज़ारत

सुल्तान के बाद, सबसे महत्त्वपूर्ण कार्यालय दीवान–ए–वज़ारत था। जिसका प्रधान वजीर होता था। शाही दरबार में यह मुख्य पद होता था और इसकी भूमिका सभी विभागों के लिए प्रधान पर्यवेक्षक की होती थी, लेकिन यह चार महत्त्वपूर्ण भागों का प्रधान था। यह

सुल्तान का मुख्य सलाहकार था। वजीर का मुख्य कार्य राज्य के वित्तीय संगठन की देख–रेख करना, सुल्तान को सलाह देना और कभी–कभी सुल्तान के आदेश पर सैन्य अभियानों का नेत त्व करना था। सेना को किया जाने वाला भुगतान इसी की देख–रेख में होता था। वज़ारत या वज़ीर का कार्यालय भूमि के राजस्व वसूली पर निगरानी रखता था, राज्य के सभी आय और व्यय का लेखा–जोखा रखता था तथा इस प्रकार सभी शाही नौकरों की तनख्वाह पर नियंत्रण रखता था अथवा उनका लेखा–जोखा रखता था, तथा धर्मार्थ चंदों जैसे वक्फों और इनामों आदि पर नियंत्रण रखता था। इसके अतिरिक्त वज़ारत द्वारा टकसालों, खुफिया विभागों, शाही इमारतों और शाही दरबार से संबंधित निकायों का देख–रेख किया जाता था। वजीर की सुल्तान तक सीधी पहुंच थी और यह उसकी बुद्धिमत्ता, ईमानदारी और वफादारी का परिणाम था कि सुल्तान वजीर पर अत्यधिक निर्भर रहने लगता था।

वज़ारत के अंतर्गत कार्य करने वाले अन्य अनेक विभाग थे। उन्हें विशिष्ट कार्य सौंपे गए थे। इनमें मुस्तौफी–ए–मुमालिक (महालेखा परीक्षक), मुशरिफ–ए–मुमालिक (प्रधान लेखाकार), मजूमदार (खजाने से ऋणों और शेषों का लेखा–जोखा रखने वाला) सम्मिलित थे। कुछ समय बाद दीवान–ए–वकूफ (व्यय का हिसाब रखना), दीवान–ए–मुस्त खाराज (राजस्व भुगतानों में शेष रह गई राशि की जांच करना), दीवान–ए–अमीर कोही (राज्य की सहायता से खेती न की जा सकने वाली भूमि को खेती करने योग्य बनाना) जैसे कुछ अन्य कार्यालयों को वज़ारत की देख–रेख में लाया गया था।

2. दीवान-ए-अर्ज

साम्राज्य के सैनिक संगठन की देखरेख करने के लिए इस विभाग की स्थापना की गई थी। इसका प्रधान अरिज–ए–मुमालिक होता था। यह सैन्य कार्यों की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी था। यह शाही सेना की देख–रेख करता था, सैनिकों की भर्ती करता था, सेना में अनुशासन बनाए रखता था और उनके उपयुक्त रहने की क्षमता का ध्यान रखता था। इक्ताधारियों द्वारा रखी जा रही सेना का निरीक्षण करता था, घोड़ों की जांच करता और उनकी पीठ पर शाही निशान लगाता था। युद्ध के दौरान आरिज सेना को खाद्य सामग्री और परिवहन व्यवस्था तथा युद्ध में सेना की व्यवस्था करता था और आपूर्ति जारी रखता था तथा लूट के माल को अपनी निगरानी में रखता था। अलाउद्दीन खिलजी ने दाग (दाग लगाना) और हुलिया (चित्रण) प्रणाली तथा सेना पद अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए सैनिकों को नगद भुगतान करना प्रारंभ किया था। दिल्ली में रहने वाला सैन्य दल *'हशम–ए–काल्ब'* कहलाता था। प्रांतों में रहने वाले सैन्य दल को *'हशम–ए–एतराफ'* कहते थे।

3. दीवान-ए-ईंशा

यह विभाग राज्य के पत्राचार की देखरेख करता था। इसका प्रधान दाबिर–ए–खास होता था। यह शाही फरमानों के मजमून तैयार करता और उन्हें भेजता था तथा विभिन्न अधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त करता था। दाबिर साम्राज्य के केंद्र और अन्य प्रदेश के बीच सरकारी पत्र व्यवहार करने का एक माध्यम था। यह एक किस्म से सुल्तान का निजी सचिव था और फरमान लिखता था।

बारीद–ए–मुमालिक राज्य के समाचार एकत्रित करने वाला और गुप्तचर कार्यों का प्रधान था। उसे सल्तनत में घटने वाली घटनाओं की जानकारी रखनी पड़ती थी। स्थानीय स्तर पर बारिद होते थे, जो राज्य के केंद्रीय कार्यालय से संबंधित नियमित

समाचार भेजते थे। बारिद के अतिरिक्त मुनिहियान के नाम से जाने वाले रिपोर्टरों का एक अन्य समूह मौजूद था।

4. दीवान-ए-रिसालत

यह विभाग न्याय की व्यवस्था करता था। इसका प्रधान *'सद्र–उस–सद्र'* होता था, जो *'काजी–ए–मुमालिक'* भी था। यह सर्वोच्च धार्मिक अधिकारी था और वह पुरोहितों का कार्य भी देखता था। वह काजियों (जजों) की भी नियुक्ति करता था और विभिन्न धर्मार्थ अनुदानों, जैसे वक्फ, वजीफा, इदरार आदि को अनुमोदन प्रदान करता था।

दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों में अपील की सर्वोच्च अदालत सुल्तान था। इससे अगला *'काजी–ए–मुमालिक'* था *'मुहतासिब्स'* (सार्वजनिक सेंसर) न्यायिक विभाग को सहायता प्रदान करते थे। इनका मुख्य कार्य यह देखना था कि कोई इस्लाम के सिद्धांतों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। वह नैतिक सिद्धांतों और आचरण की देख–रेख करता था और उसे लागू करता था।

5. अन्य विभाग

इसके अतिरिक्त केंद्र में अनेक छोटे–छोटे ऐसे विभाग थे, जो साम्राज्य के रोजमर्रा के प्रशासनिक कार्यों में सहायता देते थे। *'वकील–ए–दार'* शाही परिवार की देख–रेख करता और सुल्तान के निजी कार्य करता था। *'अमीर–ए–हाजिब'* शाही समारोह का काम देखता था। यह सुल्तान और सहायक कर्मचारियों तथा सुल्तान और जनता के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता। *'सर–ए–जानदार'* शाही अंगरक्षकों की देखरेख करता था। *'अमीर–ए–अखुर'* अस्तबल का रख–रखाव करता और *'शाहनाह–ए–फिल'* हाथियों की देखरेख करता था। *'अमीर–ए–मजलिस'* बैठकों और विशेष समारोह के आयोजनों की व्यवस्था करता था। सल्तनत की प्रशानिक प्रणाली में कारखाने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। शाही परिवार की आवश्यकताएँ कारखानों से पूरी की जाती थीं। ये कारखाने दो किस्म के होते थे; 1. उत्पादन करने वाले और 2. भंडार घर। फिरोज तुगलक के शासन काल में लगभग 36 कारखाने थे। प्रत्येक कारखाने की देख–रेख मलिक अथवा खान की श्रेणी के अभिजात वर्ग द्वारा की जाती थी। *'मुतासारिफ'* को लेखा–जोखा रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई और वह विभिन्न विभागों के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता था।

पाठगत प्रश्न 12.2

1. वज़ारत के अंतर्गत कार्य करने वाले दो विभागों का उल्लेख कीजिए?

2. अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में कौन–कौन सी कार्य प्रणाली प्रारंभ की थी?

3. कौन–सा विभाग न्याय प्रशासन का कार्य करता था? इसका प्रमुख कौन था?

केन्द्रीय राजनीतिक क्षेत्र से बाहर के क्षेत्र में प्रशासन को अनेक प्रकार से चलाया जाता था। यह उस क्षेत्र पर राजनीति नियंत्रण के स्तर पर निर्भर करता था। सल्तनत की सीमा को बढ़ाने और उसे सुद ढ़ करने की प्रक्रिया 13वीं और 14वीं शती तक जारी रही थी। लड़ाई में जीते गए कुछ नए क्षेत्र सीधे सल्तनत के नियंत्रण में आ जाते थे, जबकि अन्य क्षेत्रों पर आंशिक नियंत्रण था। इस प्रकार इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखने के लिए सुल्तान ने अलग–अलग कार्य प्रणालियां अपनाईं। सल्तनत से स्वतंत्र रूप से सम्बद्ध क्षेत्रों के प्रतीक के रूप में केंद्र द्वारा कुछ अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। परन्तु रोजमर्रा का प्रशासन स्थानीय हाथों में था। इन क्षेत्रों में केंद्र की रुचि ज्यादातर आर्थिक मामलों में अर्थात राजस्व एकत्रित करने में थी।

इन प्रांतों की देखरेख करने की जिम्मेदारी गवर्नरों (सूबेदार) पर थी और गवर्नर इस क्षेत्र के संपूर्ण प्रशासन के लिए जिम्मेदार थे। उनकी जिम्मेदारी में एकत्रित राजस्व को सुनिश्चित करना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना और विद्रोहियों को नियंत्रण में रखना सम्मिलित था। वह अपने क्षेत्र में सुल्तान का प्रतिनिधि था। चूंकि अधिकारियों का अकसर हस्तांतरण होता रहता था और वे उन क्षेत्रों से परिचित नहीं थे, इसीलिए प्रायः उन्हें अपने कार्यों को करने के लिए स्थानीय अधिकारियों पर निर्भर रहना पड़ता था। स्थानीय अधिकारियों की सहायता के बिना राजस्व वसूल करना संभव नहीं था। इसीलिए गवर्नर और स्थानीय शक्तियाँ आपसी सहयोग से कार्य करते थे। कभी–कभी यह संगठन सुल्तान के लिए परेशानियां पैदा कर देता था। क्योंकि गवर्नर स्थानीय शासकों की सहायता से शक्तिशाली बन जाते थे और सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर देते थे। 14वीं सदी के दौरान प्रशासनिक सुविधा के लिए इन प्रांतों को *'शिक्स'* में विभाजित कर दिया था। इन *'शिक्स'* का प्रशासन *'शिक्दार'* द्वारा चलाया जाता था। तदुपरान्त अफगान काल के दौरान ये शिक्स सरकार में परिवर्तित हो गए। प्रांतीय स्तर पर शिक्दार के साथ–साथ फौजदार एक अन्य अधिकारी भी होता था। इनके कार्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं किया गया था और इन दोनों के कार्य मिले–जुले थे। शिक्दार कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सुल्तान की सहायता करते थे और उसे सैन्य सहायता भी उपलब्ध कराते थे। वह छोटी–छोटी प्रशासनिक इकाइयों के कार्यों की भी निगरानी करता था। फौजदार और शिक्दार के कार्य समान थे। कोतवाल फौजदार के अधीन होते थे। प्रांतीय स्तर पर अन्य महत्त्वपूर्ण अधिकारी बारिद (खुफिया अधिकारी तथा रिपोर्टर) तथा साहिब–ए–दीवान (यह प्रांतीय आय और व्यय का वित्तीय लेखा–जोखा रखता था) थे।

12.5 इक्ता प्रणाली

इक्ता प्रणाली प्रारंभिक इस्लामिक देशों में लागू की गई थी। यह राज्य की सेवाओं के लिए पारिश्रमिक के रूप में दिया जाता था। खलीफ़ा के प्रशासन में यह नागरिक और सैन्य अधिकारियों को दिया जाता था। सल्तनत की स्थापना के बाद सुल्तानों द्वारा इक्ता प्रणाली प्रारंभ की गई थी। प्रारंभ में सैन्य कमांडरों तथा अभिजात वर्गों को प्रशासन चलाने तथा राजस्व की उगाही करने के लिए नए क्षेत्र सौंप दिए जाते थे। इस प्रकार सौंपे गए इन क्षेत्रों को इक्ता कहते थे और जिन्हें ये इक्ता सौंपे जाते थे, वे *'इक्तादार'* अथवा *'मुक्ती'* कहलाते थे।

संक्षेप में, यह अधिकारियों को भुगतान करने की एक प्रणाली थी जिससे वे सेना की देख–रेख करते थे। धीरे–धीरे सम्पूर्ण प्रणाली को संगठित करने के लिए नियम और

विनियम निर्धारित किए गए। वर्षों से यह सल्तनत का प्रशासन चलाने का मुख्य साधन बन गए। इसके अतिरिक्त इस प्रणाली के माध्यम से विशाल क्षेत्रों के विभिन्न भागों से सुल्तानों को अधिक उत्पादन का बड़ा भाग मिलने लगा।

14वीं शती से हम *'वालिस'* या *'मुक्तीस'* के बारे में सुनते आ रहे हैं। ये सेना और प्रशासनिक क्षेत्रों के कमांडर होते थे। इन्हें इक्ता कहते थे। इनकी यथार्थ शक्तियों में परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होता रहता था। समय के अनुसार *'मुक्ती'* को इक्ता के प्रशासन का पूरा दायित्व सौंप दिया जाता था जिसमें सेना की देखरेख का कार्य सम्मिलित होता था। आवश्यकता पड़ने पर *'मुक्ती'* को अपनी सेना सहित सुल्तान की सहायता करनी पड़ती थी। उससे आशा की जाती थी कि वह वसूल किए गए राजस्व से सेना की देखरेख करे और अपना खर्च स्वयं करें।

बलबन के शासनकाल से ही *'मुक़्ती'* से यह आशा की जाती थी कि वह अपने और सेना के खर्चों को पूरा करने के बाद शेष आय *(फवाज़िल)* केन्द्र को भेजे। इसका अर्थ है कि केन्द्रीय राजस्व विभाग इक्ता की संभावित आय, सेना के रखरखाव पर आने वाली लागत तथा मुक़्ती के अपने खर्चों का मूल्यांकन किया करता था। अलाऊद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान इस प्रक्रिया के संबंध में और सख्ती बढ़ती गई। जैसे–जैसे केन्द्रीय नियंत्रण बढ़ता गया, *'मुक़्ती'* के प्रशासन पर भी नियंत्रण बढ़ता गया। *'ख्वाजा'* (संभवतः यह *'साहिब–ए–दीवान'* के बराबर था) को इक्ताओं की आय का लेखा–जोखा रखने के लिए नियुक्त किया गया था। बारिद या गुप्तचर अधिकारी की भी नियुक्ति की जाती थी ताकि वह सुल्तान को सूचना देता रहे। मुहम्मद–बिन–तुगलक के शासनकाल के दौरान राजस्व में भागीदारी शर्तों पर अनेक सूबेदारों की नियुक्ति की गई थी। इन्हें राज्य को निश्चित राशि देनी होती थी। फिरोजशाह के शासनकाल के दौरान इक्ताओं पर राज्य का नियंत्रण समाप्त हो गया था और ये इक्ता वंशानुगत हो गए थे।

12.6 स्थानीय प्रशासन

गाँव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। गाँव की कार्यशैली और प्रशासन कमोबेश वैसा ही था जैसा तुर्की काल के पहले मौजूद था। गाँव के मुख्य अधिकारियों में खुत, मुकद्दम और पटवारी थे। वे राजस्व की उगाही करने और कानून और व्यवस्था बनाए रखने में मुक्ती के साथ समन्वय से कार्य करते थे। एक परगना में अनेक गाँव होते थे। परगना के महत्त्वपूर्ण अधिकारियों में चौधरी, आमिल (राजस्व एकत्र करने वाला) और कारकून (लेखाकार) होते थे। गांव और परगना प्रशासन की स्वतंत्र इकाइयाँ होती थीं और तब भी कुछ क्षेत्र आपस में जुड़े हुए होते थे। कई मामलों में इन प्रांतों के स्थानीय शासक राय, राणा, रावत, राजा होते थे जो गवर्नर को उसके कार्यों में सहायता देते थे। ऐसे मामलों में स्थानीय शासकों को सुल्तान के सहायकों के रूप में मान्यता मिली हुई थी।

पाठगत प्रश्न 12.3

1. परगना के स्तर के तीन अधिकारियों के नाम लिखें?

---

2. सल्तनत काल की कुछ प्रशासनिक इकाइयों का उल्लेख कीजिए?

3. गाँव के कुछ महत्त्वपूर्ण कार्यकर्ताओं के नामों का उल्लेख कीजिए?

4. *'फवाज़िल'* क्या था?

12.7 अलाऊद्दीन खिलजी के बाजार सुधार

अलाऊद्दीन खिलजी के बाजार सुधार प्रशासनिक और सैन्य आवश्यकताओं के अनुकूल थे। मध्यकालीन शासकों का मानना था कि जीवन की आवश्यकताओं, विशेष रूप से खाद्यान्न सभी देशवासियों को उचित कीमतों पर मुहैया कराए जाने चाहिए। परन्तु कुछ शासक कुछ समय तक ही कीमतों पर नियंत्रण रख सके। अलाऊद्दीन खिलजी कमोबेश ऐसा पहला शासक था जिसने कीमत नियंत्रण की समस्या पर सुव्यवस्थित ढंग से ध्यान दिया तथा लंबी अवधि तक कीमतों को स्थिर रखने में कामयाब रहा। यह बताया गया कि अलाऊद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की परिपाटी चलाई थी क्योंकि दिल्ली पर मंगोलों की जीत के बाद वह विशाल सेना भर्ती करना चाहता था। यदि सेना पर बड़ी राशि खर्च करनी पड़ती तो उसका सारा खजाना जल्दी समाप्त हो जाता। सुल्तान कम खर्च पर विशाल सेना की भर्ती कर सका। बाजार सुधारों के चलते कम कीमतों के जो भी कारण रहे हों, विस्त त प्रशासनिक व्यवस्थाएँ यह सुनिश्चित करने के लिए की गई थी कि बाजार नियंत्रण का अनुपालन सख्ती से किया जा सके।

अलाऊद्दीन ने अनाजों से लेकर कपड़ा, दासों, मवेशियों आदि तक सभी वस्तुओं की कीमतें निर्धारित की थी। उसने दिल्ली में तीन बाजार स्थापित किए, पहला बाजार खाद्यान्नों के लिए था, दूसरा बाजार सभी प्रकार के कपड़ों तथा महँगी वस्तुओं, जैसे चीनी, घी, तेल, मेवे आदि के लिए था तथा तीसरा बाजार घोड़ों, दासों और मवेशियों के लिए था। खाने की वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए अलाउद्दीन ने न सिर्फ गांवों से अनाजों की आपूर्ति करने और अनाज व्यापारियों द्वारा शहरों तक इसको ले जाने बल्कि नागरिकों को इसके उचित वितरण करने पर भी नियंत्रण रखने की कोशिश की। सुल्तान द्वारा निर्धारित की गई कीमतों का सख्ती से पालन किया जाए, इसके लिए अनेक उपाय किए गए थे। एक अधिकारी *('शेहना')* बाजार का प्रभारी था, जिसका कार्य यह देखना था कि कोई शाही फरमानों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा था। बारिदों (गुप्तचर अधिकारियों) और *'मुनहियान'* (जासूसों) की नियुक्ति भी की जाती थी; अलाउद्दीन ने यह सुनिश्चित करने की भी कोशिश की कि सरकार के पास खाद्यान्नों का उचित भंडार रहे ताकि व्यापारी बनावटी कमी बताकर कीमतों में व द्धि न कर दें अथवा लाभ कमा लें। दिल्ली और छैन (राजस्थान) मे अन्न भंडारों की स्थापना की गई। गांव से शहरों में खाद्यानों को लाने वाले *'बंजारों'* अथवा *'कारवानियों'* से अपना एक निकाय बनाने के लिए कहा गया था उन्हें अपने परिवारों के साथ यमुना नदी के तटों पर बसाना था। उनकी निगरानी करने के लिए एक अधिकारी ('शेहना') की नियुक्ति की गई थी। बंजारों को

नियमित रूप से खाद्यानों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कुछ नियम बनाए गए थे। सभी खाद्यानों को बाजार (मंडियों) में लाया जाता था और उन्हें सरकारी कीमतों पर ही बेचा जाता था।

कपड़े, मेवे, घी आदि वाले दूसरे बाजार को *'सराय–ए–अदल'* कहते थे। देश के कोने–कोने से और विदेश से लाए गए सभी कपड़े यहां लाए जाते थे। उन्हें एकत्रित किया जाता और इस बाजार में सरकारी दरों पर ही बेचा जाता था। सभी वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी व्यापारियों का पंजीकरण किया जाता था और उनसे इस बारे में दस्तावेज लिया जाता था कि वे वस्तुओं की निर्धारित मात्रा प्रत्येक वर्ष *'सराय–ए–अदल'* के रूप में लाया करेंगे। विदेशों सहित दूर–दूर से वस्तुओं को लाने वाले व्यापारियों को इस शर्त पर अग्रिम राशि दी गई कि वे मध्यस्थों को अपना माल नहीं बेचेंगे। महँगी वस्तुओं के लिए अधिकारी, अमीरों, मालिकों आदि को इनकी आय के अनुसार इन महँगी वस्तुओं को खरीदने के लिए परमिट (अनुमति) जारी करता था। यह इसलिए किया जाता था ताकि इन महंगे उत्पादों की काले बाज़ारी को रोका जा सके।

तीसरे बाजार में घोड़ों, मवेशियों और दासों की खरीद–फरोख्त होती थी। उचित कीमतों पर अच्छी किस्म के घोड़ों की आपूर्ति सेना के लिए महत्त्वपूर्ण थी। अलाउद्दीन ने शक्तिशाली मध्यस्थों अथवा दलालों को हटा दिया था। यह निर्णय लिया गया था कि सरकार घोड़ों की किस्में और कीमतें निर्धारित करेगी। इसी प्रकार दास लड़कों और लड़कियों तथा मवेशियों की कीमतें भी निर्धारित की गई थीं। लेकिन ये सुधार ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाए और अलाउद्दीन की म त्यु के बाद समाप्त हो गए थे।

पाठगत प्रश्न 12.4

1. बाज़ार नियंत्रण के नियमों की देख–रेख करने वाले कौन–कौन से अधिकारी थे?

2. उन स्थानों के नाम लिखें, जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अन्न भंडार स्थापित किए गए थे?

3. बंजारे कौन थे?

12.8 मुगलकालीन प्रशासनिक ढाँचा

मुगलों ने सल्तनत और शेरशाह की प्रशासनिक प्रणाली की कई विशेषताएँ बनाए रखीं। शेरशाह के शासनकाल में परगना (गांवों का समूह), सरकार (परगनों का समूह) और सरकारों के समूह (कुछ–कुछ सूबे अथवा प्रांतों जैसे) की प्रशासनिक इकाइयों को विशिष्ट अधिकारियों के नियंत्रण में रखा गया था। मुगलों ने एक नई क्षेत्रीय इकाई बनाई, जिसे सूबा कहा जाता था। जागीर और मनसब प्रणाली के संस्थानों को भी मुगलों द्वारा ही प्रारंभ

किया गया था। इस प्रकार परिवर्तन और निरंतरता दोनों मुगल प्रशासनिक ढांचे को चिहि्नत करते थे, जिससे इस प्रणाली में उच्च दर्जे का केंद्रीयकरण किया गया था।

केंद्रीय प्रशासन

1. सम्राट

सम्राट प्रशासन का सर्वोच्च प्रधान था और उसके नियंत्रण में सभी सैन्य और न्यायिक शक्तियां थीं। मुगल प्रशासन में सभी अधिकारी अपनी शक्ति और स्थिति के लिए सम्राट के प्रति उत्तरदायी थे। सम्राट को यह अधिकार था कि वह अपनी इच्छाशक्ति से अधिकारियों की नियुक्ति करता था, उनकी पदोन्नति करता था और उन्हें हटा सकता था। सम्राट पर संस्थागत या अन्यथा कोई दबाव नहीं था। सम्राट अपने कार्य सुगमता से कर सके, इसके लिए कुछ विभाग बनाए गए थे।

2. वकील और वजीर

'वज़ारत' अथवा 'वकीलत' (दोनों शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता था) का स्थान दिल्ली सल्तनत के दौरान भी कुछ रूपों में मौजूद था। वजीर का पद दिल्ली सल्तनत में अफगान शासकों के काल में अपनी उत्क ष्ट स्थिति खो चुका था। वजीर के पद को मुगलों ने फिर चालू किया। बाबर और हुमायूं के वजीर अत्यधिक शक्तिशाली थे। अकबर के मंत्री बैरम खां (1556-60) के काल में वकील–वजीर को असीमित शक्तियां प्राप्त थीं। अकबर ने वजीर की शक्तियों को कम करने के लिए ं बाद में उससे वित्तीय शक्तियां छीन ली थी। इससे वजीर की शक्तियों को बड़ा झटका लगा था।

3. दीवान-ए-कुल

दीवान–ए–कुल मुख्य दीवान था। यह राजस्व और वित्त के लिए उत्तरदायी था। अकबर ने दीवान को राजस्व शक्तियां सौंप कर दीवान के कार्यालय को मजबूती प्रदान की। दीवान सभी विभागों के सभी लेन–देन तथा भुगतानों की जांच व निरीक्षण करता था और प्रांतीय दीवानों की देख–रेख करता था।

4. मीर बक्शी

'मीर बक्शी' सेना के प्रशासन से संबंधी सभी मामले देखता था। मनसबदारों की नियुक्ति के आदेश तथा उनके वेतन के कागजातों को समर्थन प्रदान करता और उन्हें स्वीक त करता था। वह इस बात पर सख्ती से निगरानी रखता था कि मनसबदारों द्वारा शस्त्रों का और युद्ध सामग्री का उचित रख–रखाव किया जा रहा है। सेवा मांगने वाले नए सदस्यों को सम्राट के सामने *'मीर बक्शी'* द्वारा प्रस्तुत किया जाता था।

5. सद्र-उस-सद्र

सद्र–उस–सद्र पुरोहित संबंधी विभाग का मुखिया था। उसका मुख्य कार्य शरियत के कानूनों की रक्षा करना था। सद्र का कार्यालय योग्य व्यक्तियों और धार्मिक संस्थाओं को भत्ते और वजीफे बांटा करता था। अकबर के शासन काल के पहले पच्चीस वर्षों के दौरान इसने इस कार्यालय को अत्यधिक आकर्षक बना लिया था। 1580 में महजर की घोषणा ने इसके अधिकार सीमित कर दिए थे। महजर के अुनसार धार्मिक विद्वानों के

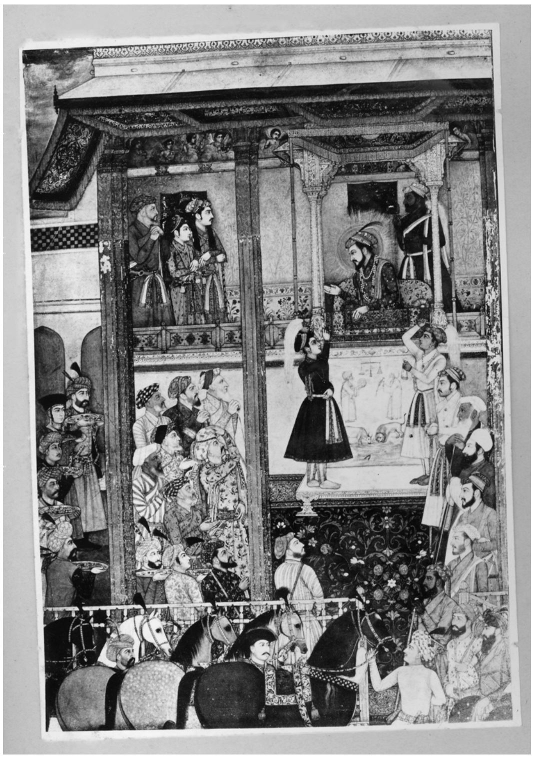

चित्र 12.1 शाही अदालत

विचारों में मतभेद होने पर अकबर का विचार मान्य होता था। यह अधिकारी धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदानों के मामलों का भी निर्धारण करता था। बाद में राजस्व मुक्त अनुदान प्रदान करने के लिए भी सदर के अधिकारों पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए गए थे।

'मुहतसिब' (लोक आचरण नियंत्रक) की नियुक्ति आचार संहिता नियमावली के सामान्य अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए की जाती थी। यह वजन और माप की जांच करता था और उचित कीमतें आदि लागू करता था।

6. मीर सामाँ

मीर सामाँ शाही कारखानों का प्रभारी अधिकारी था। उसकी शाही परिवार के लिए सभी प्रकार की खरीदारी करना और उनके भंडारण की जिम्मेवारी थी। वह शाही परिवार के उपयोग हेतु विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन पर भी निगरानी रखता था।

प्रांतीय प्रशासन

अकबर ने मुगल साम्राज्य को 12 प्रांतों अथवा सूबों में विभाजित किया था। ये प्रांत थे – इलाहाबाद, आगरा, अवध, अजमेर, अहमदाबाद, बिहार, बंगाल, दिल्ली, काबुल, लाहौर, मालवा और मुल्तान। बाद में अहमदनगर, बरार और खानदेश को सम्मिलित कर लिया था। मुगल साम्राज्य के विस्तार के साथ ही प्रांतों की संख्या बढ़कर बीस हो गई थी।

प्रत्येक सूबा सूबेदार अथवा प्रांतीय गवर्नर के अधीन था। ये सम्राट द्वारा सीधे नियुक्त किए जाते थे। सूबेदार प्रांत का प्रधान होता था तथा वह सामान्य कानून और व्यवस्था

बनाए रखने के लिए जिम्मेदार था। वह क षि, व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देता था तथा राज्य का राजस्व बढ़ाता था। वह विद्रोहियों का दमन करता और अभियानों के लिए सेना मुहैया कराता था।

सूबे में राजस्व विभाग का प्रमुख दीवान होता था। उसकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थीं और वह स्वतंत्र अधिकारी था। उसे सूबे में राजस्व संग्रहण का कार्य देखना पड़ता था और वह सभी व्यय का लेखा–जोखा रखता था। उससे आशा की जाती थी कि वह खेती योग्य भूमि को बढ़ाएगा। कई बार उसके कार्यालय से किसानों को अग्रिम ऋण (तकवी) भी दिया जाता था।

प्रांत के बक्शी द्वारा भी वही कार्य किए जाते थे, जो केंद्र में मीर बक्शी द्वारा किए जाते थे। इसकी नियुक्ति मीर बक्शी की सिफारिशों पर शाही दरबार द्वारा की जाती थी। वह सूबे के मनसबदारों द्वारा देख–रेख किए जा रहे घोड़ों और सिपाहियों की जांच और निरीक्षण के लिए जिम्मेदार था। वह मनसबदारों तथा सिपाहियों दोनों के वेतन बिल जारी करता था। अकसर इसका कार्यालय *'वाक्यनिकार'* से जुड़ा होता था। इस हैसियत से उसका कार्य था कि वह अपने प्रांत की घटनाओं के बारे में सूचना दे।

प्रांतीय स्तर पर केंद्रीय सद्र (सद्र–अस–सुद्दर) के प्रतिनिधि को सद्र कहते थे। यह उन लोगों के कल्याण के लिए जिम्मेदार था, जो धार्मिक गतिविधियों और शिक्षा के कार्यालय में लगे हुए थे और वे न्याय विभाग का कार्य भी देखते थे। इस हैसियत से वे काज़ियों के कार्य की भी देख–रेख करते थे।

कुछ अन्य अधिकारी भी थे, जिनकी नियुक्ति प्रांतीय स्तर पर की जाती थी। *'दरोगाई–ए–डाक'* संचार माध्यम के रख–रखाव के लिए जिम्मेदार था। वह डाक वाहकों *('मेरवाड़')* के माध्यम से दरबार में पत्र पहुंचाता था। वाकयानवीस और वाकयानिगार की नियुक्ति सम्राट को सीधे रिपोर्टें भेजने के लिए की गई थी।

स्थानीय प्रशासन

प्रांत अथवा सूबे सरकारों में विभाजित थे। सरकारों को परगनों में बांटा गया था। गांव प्रशासन की लघुतम इकाई थे। सरकार स्तर पर दो महत्त्वपूर्ण अधिकारी थे *'फौजदार'* और *'अमलगुजार'*। *'फौजदार'* की नियुक्ति शाही आदेश द्वारा होती थी। कभी–कभी एक सरकार में कई फौजदार होते थे। कभी–कभी इनके क्षेत्राधिकार दो सरकारों में होते थे, जबकि ये दोनों अलग–अलग सूबों के होते थे। फौजदारी एक प्रशासनिक प्रभाग होता था, जहां सरकार का क्षेत्रीय और राजस्व प्रभाग होता था। फौजदार का मुख्य कार्य अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्रों के निवासियों के जीवन और सम्पत्ति की रक्षा करना था। वह अपने क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था संबंधी समस्याओं का निवारण करता और आवश्यकता पड़ने पर सेना की तथा समय पर राजस्व एकत्र करने में सहायता देता था। अमलगुजार अथवा आमील राजस्व संग्राहक होता था। उसका कार्य राजस्व का मूल्यांकन करना और राजस्व संग्रहण की देखरेख करना था। उससे आशा की जाती थी कि वह खेती योग्य भूमि को बढ़ाएगा और किसानों को स्वेच्छा से राजस्व का भुगतान करने के लिए प्रेरित करेगा। वह सभी लेखा–जोखा रखता था और प्रांतीय दीवान को प्रतिदिन प्राप्ति और व्यय की रिपोर्ट भेजता था।

परगना स्तर पर शिक्दार कार्यपालक अधिकारी होता था। वह राजस्व संग्रहण के कार्य में *'अमिलों'* की सहायता करता था, *'आमिल'* परगना स्तर पर राजस्व संग्रह का कार्य देखते थे। कानूनगो परगना में भूमि संबंधी सभी रिकॉर्ड रखता था। मुख्यतः शहरों में कोतवालों की नियुक्ति शाही सरकार द्वारा की जाती थी तथा वह कानून और व्यवस्था का प्रभारी होता था। वह शहर में आने और शहर से बाहर जाने वाले लोगों का रिकॉर्ड रखने के लिए एक रजिस्टर रखता था। *'मुकद्दम'* गांव का मुखिया होता था और पटवारी गांव के राजस्व रिकॉर्ड रखता था। वे अपने क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा राजस्व संग्रहण में जमींदारों की सेवाएं लेते थे। किलों की रखवाली *'किलेदार'* नामक अधिकारी करता था। वह किले के सामान्य प्रशासन तथा उसको जागीर में दिए गए क्षेत्रों का प्रभारी होता था।

पतन प्रशासन प्रांतीय अधिकारी से मुक्त था। पतन के गवर्नर को *'मुतासद्दी'* कहते थे, जिसकी नियुक्ति सीधे सम्राट द्वारा की जाती थी। मुतासद्दी माल पर कर एकत्र करता था और वह सीमा शुल्क कार्यालय की देखरेख करता था। वह पतन की टकसाल की देखरेख भी करता था।

पाठगत प्रश्न 12.5

1. अकबर ने वजीर की शक्ति क्यों कम की?

____

2. *'मीर सामाँ'* कौन था? उसके क्या कार्य थे?

____

3. *'मुतासद्दी'* कौन था? उसके क्या कार्य थे?

____

4. कौन से दो महत्त्वपूर्ण अधिकारी सरकार के स्तर पर थे?

____

12.9 मुगल प्रशासनिक संस्थान

(1) मनसब प्रणाली

भारत में मुगलों के शासनकाल में मनसब और जागीर प्रणाली प्रारंभ से अंत तक प्रचलित थी। भारत में मुगलों द्वारा तैयार की गई मनसबदारी अद्वितीय प्रणाली थी। कुछ हेरफेर से अकबर द्वारा चलाई गई मनसबदारी प्रणाली सैन्य व नागरिक प्रशासनों का आधार थी। मनसब शब्द का अर्थ हैसियत या पद से है। जिस व्यक्ति को मनसब प्रदान किया जाता था, उससे शाही तंत्र में उसकी हैसियत और वेतन दोनों का निर्धारण होता था। मनसबदार द्वारा रखे जाने वाले सैनिकों की संख्या का भी इससे निर्धारण होता था। यह प्रणाली अभिजात वर्गों के पद को कारगर और सरल बनाने, उनके वेतन का निर्धारण करने तथा उनके द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या का निर्धारण करने के लिए तैयार की गई थी।

मनसब प्रणाली में पदों को संख्याओं में व्यक्त किया जाता था। अबुल फजल बताता है कि अकबर ने मनसबदारों की 66 श्रेणियां स्थापित की थीं जिनकी सीमा 10 घुड़सवार कमांडरों से 10,000 घुड़सवारों तक थी, यद्यपि उसने 33 श्रेणियों का ही उल्लेख किया। प्रारंभ में, एक संख्या पद, वैयक्तिक वेतन और मनसबदार के सैन्य दल की संख्या का निरूपण करती थी। बाद में, मनसबदार का पद दो संख्याओं, जात और सवार को सूचित करने वाली बन गई। जात कर्मचारी के व्यक्तिगत पद को दर्शाता था। और सवार मनसबदारों द्वारा रखी जाने वाली सेना के आकार को दर्शाता था। सैन्य दल की संख्या के आधार पर मनसबदारों को तीन श्रेणियों मे रखा गया था। आइए एक मनसबदार का उदाहरण लें जिसके पास 7000 जात और 7000 सवार (7000/7000) के पद थे। प्रथम श्रेणी में जात और सवार के पद बराबर (7000/7000) थे। दूसरी श्रेणी में सवार के पद जात से कम थे लेकिन जात पद के आधे अथवा पचास प्रतिशत थे (7000/4000) तीसरी श्रेणी में सवार पद जात पद के पचास प्रतिशत (7000/3000) से कम थे। इस प्रकार सवार पद या तो जात के बराबर थे या उससे कम थे। सवार पद ज्यादा होने पर भी शाही तंत्र में मनसबदार की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। यह जात के पद से ही निर्धारित होती थी। उदाहरणार्थ, 4000 जात और 2000 सवार रखने वाले मनसबदार का पद 3000 जात और 3000 सवार रखने वाले मनसबदार के पद से ऊंचा होता था।

लेकिन इस नियम में कुछ अपवाद भी थे विशेष रूप से जब कोई मनसबदार विद्रोहियों के बीच समस्याओं वाले क्षेत्र में कार्य करता था। ऐसे मामलों में राज्य अकसर जात पद में परिवर्तन किए बिना सवार पद में व द्धि करता था। कभी–कभी आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए अस्थायी अवधि के लिए सवार पद में व द्धि भी कर दी जाती थी।

जहाँगीर ने सवार पद में नई व्यवस्था प्रारम्भ की। इस प्रावधान के अनुसार चुने हुए मनसबदारों के मामले में सवार पद को दु–अस्पाह और सिह–अस्पाह कहा गया। इस भाग के लिए प्रतिसवार उसी दर पर 8000 दाम प्रति सवार के अतिरिक्त भुगतान की स्वीक ति प्रदान की गई थी। यदि सवार पद 4000 है जिसमें से 1000 दु–अस्पाह और सिह–अस्पाह होते थे। इस सवार का वेतन $3000 \times 8000 + (1000 \times 8000 \times 2)$ 40,000,000 दाम परिकलित किया जाता था। दु–अस्पाह और सिह–अस्पाह के बिना 4000 सवार का वेतन $(4000 \times 8000 = 32{,}000{,}000)$ होता था। इस प्रकार मनसबदार को दु–अस्पाह सिह–अस्पाह श्रेणी के दुगुने सवार रखने पड़ते थे और इसके लिए भुगतान किया जाता था। जहांगीर ने शायद यह व्यवस्था अपने विश्वास पात्र अभिजात वर्ग को बढ़ावा देने और उनका सैन्य रूप से शक्तिशाली बनाने के लिए की थी। इस व्यवस्था से वह अपने जात पद में कोई परिवर्तन किए बिना अपने अभिजात वर्गों की सेना में बढ़ोतरी कर सका। अपने जात पद में कोई व द्धि करने से न सिर्फ अन्य अभिजात वर्गों को ईर्ष्या होगी, बल्कि राजकोष पर इसका भार भी बढ़ेगा।

शाहजहां ने *'जमा'* (अनुमानित आय) और *'हासिल'* (वास्तविक प्राप्ति) के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए मनसबदारी प्रणाली में मासिक वेतनमान प्रारंभ किया। अकसर मनसबदारों को सौंपी गई राजस्व उगाने वाली जागीरों के रूप में भुगतान किया जाता था। इसमें सबसे बड़ी समस्या यह थी कि एक वर्ष के दौरान जागीर से होने वाली संभावित आय (जमा) के आधार पर परिकलन किया जाता था। यह देखा गया था कि वास्तविक राजस्व

संग्रहण (हासिल) अनुमानित आय से हमेशा कम होता था। ऐसी स्थिति में मनसबदारों के वेतन का निर्धारण मासिक वेतनमान विधि से किया जाता था। यदि किसी जागीर से सिर्फ आधा राजस्व हासिल होता था तो यह 'शशमाह' (छमाही) कहलाता था। यदि इससे केवल एक चौथाई प्राप्त होता है तो इसे सीमाहा तिमाही कहते थे। मासिक वेतनमान नकद वेतनों पर भी लागू होता था। स्वीक त वेतन में से भी कटौती की जाती थी। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मनसबदारों को बिना उनके दावे की राशि में कमी किए, सवार पद की स्वीक त संख्या के $^1/_5$ से $^1/_3$ रखने की मंजूरी दे दी गई।

औरंगजेब ने इन सभी परिवर्तनों को जारी रखा तथा 'मशरूत' (शर्तबंद) नामक नया पद सजित किया। यह मनसबदार के सवार पद में अस्थायी रूप से वद्धि करने का प्रयास था। औरंगजेब ने शाही अस्तबलों में पशुओं के चारे पर आने वाली लागत को पूरा करने के लिए 'खुराक–ए–दवाब' नामक एक और कटौती की।

(2) जागीर प्रणाली

मुगलों के शासनकाल में राज्य को अपनी सेवाएं देने वाले अभिजात वर्गों को किसी विशेष क्षेत्र का राजस्व सौंपने की प्रणाली को जारी रखा गया। मुगलकाल में जो क्षेत्र सौंपा जाता था वह 'जागीर' और जिस व्यक्ति को यह क्षेत्र सौंपा जाता था वह 'जागीरदार' कहलाता था। अकबर के शासनकाल में विकसित मनसबदारी प्रणाली में जागीर अभिन्न हिस्सा थी और अकबर के उत्तराधिकारियों ने अपने–अपने शासनकाल के दौरान इस प्रणाली में अनेक परिवर्तन किए। अकबर के शासनकाल में समग्र क्षेत्र को दो भागों में बांटा गयाः 'खालिस' और 'जागीर'। इस पहले भाग से प्राप्त होने वाला राजस्व शाही खजाने में जमा होता था और जागीरदारों को नकद वेतन के बदले उन्हें जागीरें सौंपी गई थी। मनसबदारों के वेतन की हकदारी उनके जात और सवार के पदों के आधार पर आँकी जाती थी। वेतन का भुगतान नकद अथवा जागीर के रूप में किया जाता था। जागीर के रूप में किए जाने वाले भुगतान को प्राथमिकता दी जाती थी। यदि भुगतान जागीर देकर किया जाता, तो केन्द्रीय दीवान का कार्यालय उन परगनों का पता लगाता था जिनकी 'जमा' का कुल जोड़ मनसबदारों के वेतन के दावे के बराबर था। यदि रिकॉर्ड की गई 'जमा' जागीरदार के वेतन दावे से अधिक होती, तो जागीरदार को शेष राशि केन्द्रीय खजाने में जमा करानी पड़ती थी। दूसरी ओर, यह वेतन दावे से कम होता तो कम होने वाली राशि खजाने से पूरी की जाती थी।

हालांकि, कोई भी सौंपी जाने वाली जागीर स्थायी अथवा वंशानुगत नहीं थी। सम्राट किसी भी समय जागीर के एक भाग अथवा संपूर्ण जागीर को अपने क्षेत्राधिकार के एक भाग से दूसरे भाग में स्थानांतरित कर सकता था। मुगल शासनकाल के दौरान जागीर और खालिस के बीच का अनुपात घटता–बढ़ता रहता था। अकबर के शासनकाल के दौरान 'खालिस' कुल राजस्व का मात्र 5 प्रतिशत था। जहांगीर के शासनकाल में यह 10 प्रतिशत और शाहजहां के शासन में यह 9 से 15 प्रतिशत के बीच घटता–बढ़ता रहा। औरंगजेब के शासनकाल के अंतिम समय में 'खालिस' पर बहुत दबाव बढ़ गया था। क्योंकि मनसबदारों की संख्या में व द्धि होने से जागीर के दावेदारों की संख्या में भी व द्धि हुई। जागीरदारों का स्थानांतरण एक जागीर से दूसरी जागीर पर किया जाता था (परन्तु कुछ मामलों में उन्हें अपनी जागीर लंबी अवधि के लिए एक स्थान पर रखने की अनुमति दे दी जाती थी)। स्थानांतरण प्रणाली जागीरदारों पर अंकुश लगााने का काम करती थी

ताकि वे स्थानीय जड़ें न बना लें। इसका नुकसान यह रहा कि इससे जागीरदार अपने क्षेत्रों के विकास हेतु लंबी अवधि के उपाय करने के लिए निरुत्साहित होते थे।

यहां अनेक प्रकार की 'जागीरें' थीं। 'तनख्वाह जागीरें' वेतन के बदले दी जाती थीं। मशरूत जागीरें निश्चित शर्तों पर दी जाती थीं। 'वेतन जागीरे' जमींदार और राजाओं को उनकी स्थानीय रियासतों के लिए सौंपी जाती थीं। 'अल्तमघा जागीरें' मुस्लिम कुलीन (अभिजात) को उनके पारिवारिक नगर अथवा जन्म स्थान में दी जाती थीं। 'तनख्वाह जागीरें' प्रत्येक तीसरे से चौथे वर्ष हस्तांतरित कर दी जाती थीं। 'वतन जागीरें' वंशानुगत थी और अहंस्तारणीय थीं। जब किसी जमींदार को मनसबदार बनाया जाता था, तो उसे उसकी तनख्वाह ज़ागीर के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान की वतन ज़ागीर भी दी जाती थी, यदि उसके पद का वेतन उसकी 'वतन जागीर' की आय से अधिक होता था।

जागीरदार को शाही नियमों के अनुसार ही राजस्व एकत्रित करने की अनुमति थी। जागीरदार अपने स्वयं के कर्मचारी जैसे आमील आदि नियुक्त करते थे। शाही कार्यालय जागीरदारों पर निगरानी रखता था। सूबे के दीवान से आशा की जाती थी कि वह जागीरदार द्वारा किसानों पर हो रहे अत्याचारों को रोके। प्रत्येक सूबे में 'आमीन' की नियुक्ति यह देखने के लिए की जाती थी कि जागीरदार शाही नियमों का पालन करे। यदि जागीरदारों को राजस्व एकत्रित करने में कोई कठिनाई आती, तो 'फौजदार' जागीरदारों की मदद करते थे।

पाठगत प्रश्न 12.6

1. मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? यह प्रणाली क्यों बनाई गई थी?

   ____

2. 'जात' और 'सवार' क्या थे?

   ____

3. औरगंजेब ने मनसब प्रणाली में क्या परिवर्तन किए थे?

   ____

4. 'जागीर' प्रणाली क्या थी?

   ____

12.10 मराठों का प्रशासनिक ढांचा

दक्कन के इतिहास में मराठा शक्ति का उदय एक महत्त्वपूर्ण घटना थी। मराठों की प्रशासनिक व्यवस्था मुगलों और दक्कनी राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था से बहुत अधिक प्रभावित थी।

(1) केन्द्रीय प्रशासन

राजा सभी कार्यों का कर्णधार था। प्रशासन को आठ विभागों में विभाजित किया गया, जिनके मुखिया मंत्री होते थे। कभी–कभी इन्हें अष्ट–प्रधान कहा जाता था। ये आठ मंत्री

थे–(1) पेशवा (वित्तीय और सामान्य प्रशासन की देखभाल करते थे) (2) सरी–ए–नौबत (सेनापति था) (3) मजूमदार लेखा–जोखा रखता था (4) बकायानवीस गुप्तचर और घरेलू मामलों की देखभाल करता था। (5) सुरुनवीस या चिट्निस शाही पत्राचार का कार्य करता था। (6) दाबिर विदेशी मामले देखता था। (7) न्यायाधीश न्यायिक और (8) पंडित राव धार्मिक अनुदान संबंधी मामले देखते थे।

अष्ट प्रधान की रचना शिवाजी द्वारा नहीं की गई। इनमें बहुत से अधिकारी जैसे पेशवा, मजूमदार, बकायानवीस, दाबिर और सुरुनवीस दक्कनी शासकों के समय भी विद्यमान थे। पंडितराव और नयायाधीश को छोड़कर अष्टप्रधान के सभी सदस्यों को सैन्य नेत त्व करने के लिए कहा जाता था। ये कार्यालय शिवाजी के शासनकाल के दौरान न तो वंशानुगत और न ही स्थायी थे। वे राजा की इच्छा पर ही पद पर रह सकते थे। अक्सर उनका स्थानांतरण भी होता रहता था। प्रत्येक अष्ट–प्रधान की सहायता आठ सहायकों, दीवान, मजमूदार फडनीश, सबनीश, कारखानीस, छिटनिश, जमादार, और पोटनीश द्वारा की जाती थी। छिटनिश सभी राजनयिक पत्र व्यवहार करते थे और सभी शाही–पत्र लिखते थे। फडनीश किलों के कमांडरों के पत्रों के उत्तर देते थे। पोटनीश शाही खजाने की आय का लेखा–जोखा रखते थे।

(2) प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन

प्रांतीय प्रशासन दक्कनी और मुगल प्रणाली के आधार पर संगठित किया गया था। सभी प्रांतीय इकाइयाँ दक्कनी शासकों के अधीन पहले से ही मौजूद थी। शिवाजी ने इन्हें मान्यता प्रदान की और कुछ का दोबारा नामकरण किया गया। प्रांतों को प्रांत के रूप में जाना जाता था। प्रांत सूबेदार के अधीन होते थे। एक से अधिक सूबेदारों को सरसूबेदार नियंत्रित करता था तथा यह सूबेदारों के कार्यों का निरीक्षण भी करता था। प्रांतों से छोटे 'तार्फस' थे, जिनका मुखिया हवलदार होता था। उसके बाद मौजास अथवा गांव थे जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थे। गांव के स्तर पर कुलकरणी खाते लिखता और व्यवस्थित रखता था जबकि पाटिल के पास न्यायिक और पुलिस शक्ति थी। परगना के स्तर पर देशपांडे खातों को लिखता और उन्हें व्यवस्थित करता था। जबकि देशमुख के पास न्यायिक और पुलिस शक्ति थी। पुलिस अधिकारी को ग्रामीण इलाकों में फौजदार कहा जाता था और शहरी इलाकों में कोतवाल कहा जाता था। मराठा राजनीति में नागरिक और सैन्य पदों का एकीकरण नहीं था। मराठों के शासनकाल में संभ्रात ब्राह्मण वर्ग केन्द्रीय नौकरशाही व स्थानीय प्रशासन में कार्यरत थे। इस हैसियत से उन्हें कामवीसदार कहा जाता था, जिनके पास कर लगाने और उसे एकत्रित करने की व्यापक शक्तियां थीं। वे मुकदमों का निर्णय करते थे और स्थानीय परिस्थितियों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराते थे और उनका रिकॉर्ड रखते थे। बाद में ब्रिटिश जिला कलेक्टर का पद इस मराठा अधिकारी के नमूने के अनुसार बनाया गया।

पाठगत प्रश्न 12.7

1. अष्टप्रधान के पदों को सूचीबद्ध कीजिए?

2. मराठों की प्रशासनिक प्रणाली को किसने प्रभावित किया?

____

3. मराठा प्रशासन के अंतर्गत प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन–सी थी?

____

आपने क्या सीखा

आपने देखा कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही नए शासक वर्ग और कुछ नई प्रशासनिक संस्थाओं का उदय हुआ। प्रशासनिक संस्थाएँ मूल रूप से मिश्रित थीं जिनकी जड़ें अरब और मध्य एशिया और भारतीय मूल से थीं। मुगल काल के दौरान सल्तनत–काल की कुछ संस्थाओं में कुछ बदलाव किया गया और कुछ नई बनाई गईं। प्रशासनिक प्रणाली और संस्थाओं ने सल्तनत और मुगल साम्राज्य को सुद ढ़ करने में योगदान किया। प्रशासनिक प्रणाली को शासकों द्वारा समाज में सद्भाव बनाए रखने के लिए भी प्रयुक्त किया जाता था। इसे प्रशासनिक उपकरण के रूप में समाज के ज्यादा से ज्यादा समुदायों को शामिल करके प्रयुक्त किया जाता था। विस्त त क्षेत्र में फैले मुगल साम्राज्य के कारण प्रशासन को सुव्यवस्थित ढंग से संचालन करने के लिए इसे तीन स्तरों में बांटा गया; केन्द्रीय, प्रान्तीय और स्थानीय। स्थानीय स्तर के प्रशासन को गांव के मुखिया के हाथों में सौंपा गया। प्रान्तीय स्तर पर सल्तनत काल के दौरान इक्ता की संस्थाओं तथा मुगल काल में मनसब व जागीर संस्थाओं के माध्यम से प्रशासन चलाया जाता था और केन्द्रीय स्तर पर सुल्तान या सम्राट की अपनी प्रशासन प्रणाली होती थी जिसमें उसकी सहायता के लिए बहुत सारे अधिकारी होते थे। अन्य कार्यों की देखरेख के लिए भी कई अन्य विभाग थे। कभी–कभी शासक को अभिजांत चुनौती देते थे तथा उलेम दबाव डालते थे। शक्तिशाली और योग्य शासक के अधीन प्रशासनिक प्रणाली और संस्थाएँ बेहतर ढंग से कार्य करती थी परन्तु कमजोर शासक इनके दबाव में रहते थे। मराठा प्रशासनिक प्रणाली का विकास मुगल और दक्कनी राज्यों का अनुसरण करते हुआ।

पाठान्त प्रश्न

1. दिल्ली सल्तनत काल के दौरान प्रशासनिक ढांचे का विकास किस प्रकार हुआ?
2. दिल्ली सल्तनत काल के दौरान अभिजातों की संरचना पर चर्चा कीजिए?
3. दिल्ली सल्तनत काल के दौरान वज़ारत के कार्यों का उल्लेख करें?
4. सल्तनत के अधीन इक्ता प्रणाली के उद्भव का उल्लेख करें।
5. सल्तनत के अधीन स्थानीय प्रशासन के कार्यों की चर्चा करें।
6. अलाऊद्दीन खिलजी के बाजार सुधारों की चर्चा करें। किन उपायों को अपनाकर उसने इन्हें लागू किया?

7. मुगल काल के दौरान 'दीवाने–ए–कुल' और 'मीर–बक्शी' के कार्यों की चर्चा कीजिए।
8. मुगलों के अधीन स्थानीय प्रशासन के कार्यों की चर्चा करें।
9. अकबर से औरंगजेब तक मनसबदारी प्रणाली के विकास का उल्लेख करें।
10. जागीरदारी प्रणाली की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें?
11. मराठा प्रशासन की मुख्य विशेषताओं की चर्चा करें?

पाठगत प्रश्नों के उतर

12.1

1. चहलगान 40 अभिजातों का समूह था। इसे इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया।
2. बलबन।
3. सुल्तान का स्थान समान शक्तिवालों में प्रमुख था।
4. उलेमा धार्मिक विद्वानों का समूह था जो धार्मिक मामलों और धार्मिक विवादों को नियंत्रित करते थे।

12.2

1. मुशतौफ़ी–ए–मुमालिक, मुशरीफ़–ए–मुमालिक।
2. दाग और हुलिया।
3. दीवान–ए–रिसालत, सदर–उस सद्र।

12.3

1. शिक्दार, फौज़दार, कोतवाल इत्यादि।
2. परगना, शिक, सरकार इत्यादि।
3. खुत मुकद्दम, पटवारी।
4. फवाज़ित राजस्व की वह शेष राशि होती थी जिसे मुक्तीं अपने तथा सेना का खर्च पूरा करने के बाद सुलतान को भेजता था।

12.4

1. सिहना, बदरीस, मुनीहीयान इत्यादि।
2. दिल्ली और छैन (राजस्थान)।
3. बंजारे खाद्य अनाजों को देहातों से ढोकर शहर ले जाया करते थे। अलाऊद्दीन खिलजी के समय के दौरान उन्होंने अपने आपको संगठित किया और यमुना के किनारे बस गए।,

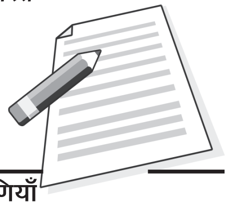

12.5

1. अकबर वज़ीर की शक्ति को नियंत्रित करना चाहता था, क्योंकि उसका वज़ीर बैरम खाँ शक्तिशाली बन चुका था। अकबर ने वजीर से सभी वित्तीय शक्तियां छीन ली।
2. मीर सामाँ शाही कारखाने का पदाधिकारी था। उस पर शाही घर की सभी प्रकार की खरीदारी और उनके गोदाम की जिम्मेदारी थी तथा साथ ही विभिन्न निर्मित वस्तुओं का निरीक्षण भी करता था।
3. मुतासद्दी बंदरगाहों (पतन) का गवर्नर था। वह माल का कर इकट्ठा करता और सीमा शुल्क कार्यालय की देखरेख करता था।
4. फौजदार और अमलगुजार

12.6

1. अकबर ने मनसबदारी प्रणाली स्थापित की थी। यह अभिजातों को पदानुसार सुव्यवस्थित करने और उनकी तनख्वाह निश्चित करने तथा घुड़सवारों की कितनी संख्या का रखरखाव उन्हें करना है, के लिए निर्मित की गई थी।
2. जात किसी अधिकारी की व्यक्तिगत श्रेणी की ओर संकेत करता तथा सवार किसी मनसबदार के द्वारा किए गए सैन्य दल के आकार को दर्शाता था।
3. औरंगजेब ने मनसब प्रणाली में एक अन्य पद जोड़ा जिसे मशरूत कहा गया (सर्शत)। उसने एक अन्य कटौती की जिसे खुराक–ए–दव्वाब कहा गया, जो साम्राज्य के अस्तबल के पशुओं के चारे के लिए थी।
4. देखिए भाग 12.9 (2)

12.7

1. देखिए मराठों के अधीन केन्द्रीय प्रशासन
2. मराठों की प्रशासनिक प्रणाली मुगल और दक्कनी राज्यों से प्रभावित थी।
3. मराठा प्रशासन के अधीन मौजा या गांव सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी।

पाठान्त प्रश्नों के लिए संकेत

1. देखें अनुच्छेद 12.1- 1 और 2 का
2. देखें अनुच्छेद, 12.2 (2)
3. देखें अनुच्छेद 12.3 (1)
4. देखें अनुच्छेद 12.5
5. देखें अनुच्छेद 12.6
6. देखें अनुच्छेद 12.7
7. देखें अनुच्छेद 12.8 (3) और (4)

8. देखें अनुच्छेद 12.8.3
9. देखें अनुच्छेद 12.9 (1)
10. देखें अनुच्छेद 12.9 (2)
11. देखें अनुच्छेद 12.10

शब्दावली

उलेमा	–	धार्मिक शिक्षाओं के विशेषज्ञ मुस्लिम विद्वान, आलिम शब्द का बहुवचन
चहलगान	–	इल्तूतमिश द्वारा बनाया गया 40 अभिजातों (कुलीनों) वर्ग समूह।
दीवान-ए-वज़ारत	–	सल्तनत काल का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्यालय, जिसका मुखिया वज़ीर होता था।
दीवान-ए-अर्ज़	–	सैन्य संगठन की देखरेख करने वाला विभाग जिसका मुखिया अरिज़–ए–मुमालिक था।
दाग	–	पशुओं और घोड़ों पर चिह्न लगाने की प्रणाली।
हुलिया	–	सैनिकों की पहचान का वर्णन।
दीवान-ए-इंशा	–	राज्य के पत्राचार की देखभाल करने वाला विभाग, जिसका मुखिया दबीर–ए–खास था।
दीवान-ए-रिसालत	–	न्याय प्रशासन से संबंधित विभाग, जिसका मुखिया सद्र–उस–सद्र था।
मुहतासिब्स	–	नियमों को बनाए रखने के लिए नियुक्त किया गया अधिकारी।
कारखाने	–	राज्य के लिए आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए शाही कारखाने तथा उपक्रम।
इक्ता	–	गांव अथवा क्षेत्र के राजस्व का अनुदान।
मुकद्दम	–	गांव का मुखिया मुख्यतयः प्रथम अथवा वरिष्ठ व्यक्ति।
राय	–	हिन्दू मुखिया जिसके पास प्रायः भूमि और सेनाएं थी।
मनसब	–	मुगल शासक द्वारा दिया गया सैन्य पद, जो व्यक्तिगत स्थिति और वेतन निर्धारित करता था।
जागीर	–	राज्य द्वारा सरकारी अधिकारियों को दिया गया भूमि का टुकड़ा।
बंजारा	–	अनाज और मवेशियों के व्यापारी; एक जनजाति का नाम।
दलाल	–	बिचौलिया, दलाल।
आमील, अमालगुजर	–	राजस्व एकत्रित करने वाला।
खालिसा भूमि	–	वह भूमि जिसका नियंत्रण व प्रबंध सीधा राज्य द्वारा किया जाता था।
महजर	–	धार्मिक विद्वानों के चलते मतभेदों में उलेमाओं द्वारा जारी आदेश, जिसमें अकबर के विचारों को प्राथमिकता दी जाती।

फवाजिल	–	अधिशेष राशि
इदरार	–	राजस्व मुक्त भूमि अनुदान
मुक्ती अथवा वली	–	इक्तादार या गवर्नर
मुशरिफ	–	राजस्व अधिकारी
मुताशर्रीफ	–	लेखा परीक्षक
वक्फ	–	धार्मिक संस्थाओं के लिए दिया जाने वाला अनुदान
वजीफा	–	वजीफा या व त्ति